

Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-

1. Deputy Director or Senior Administrative Officer,
Office of the Joint Secretary and Chief Administrative Officer,
Ministry of Defence - Chairman;
2. Deputy Directors each from Integrated Headquarters of
Ministry of Defence (Army, Navy, Air) and
Defence Staff Headquarters
Ministry of Defence - Members;
3. A member belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes
and Lady member may also co-opted as member if no such persons are
already members of the Departmental Confirmation Committee. - Member.

[F. No. A/33953/CAO/R-2]

JITENDRA KUMAR, Director

(वित्त प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2023

का.नि.आ. 82.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग, (निजी सचिव) भर्ती नियम, 2013 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, रक्षा लेखा विभाग में निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग, (निजी सचिव) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन का स्तर.**— उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—पूर्वोक्त पद के लिए भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं.- कोई व्यक्ति-**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ,

उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|-----------|---|--|---|------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| निजी सचिव | 80* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित अनुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 (रु. 44900 - 142400) | चयन | लागू नहीं होता |

| | | | |
|--|--|-------------------------------|--|
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा |

| | | |
|--|--|---|
| प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में उस श्रेणी का नाम जिससे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
| (11) | (12) | (13) |
| <p>प्रोन्नति : आशुलिपिक श्रेणी-I जिनका वेतन स्तर 06 है, जिसने नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है और विभाग के अधीन कार्यरत विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों में प्रदान किए गए उच्चतर पद के कर्तव्यों के संबंध में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार के आशुलिपिक काडर के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन स्तर - 6 (रु. 35,400 - 1,12,400) या समतुल्य में नियमित आधार</p> | <p>विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:</p> <p>(1) रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक अथवा रक्षा लेखा नियंत्रक अथवा रक्षा लेखा अपर नियंत्रक अथवा रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक - अध्यक्ष ;</p> <p>(2) रक्षा लेखा उप</p> | <p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर ब्राह्म पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> | <p>नियंत्रक - सदस्य ;</p> <p>(3) रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक - सदस्य।</p> | |
|---|---|--|

[फा. सं.9(1)/DAD/C/2023]

वेदवीर आर्य, अपर वित्तीय सलाहकार एवं संयुक्त सचिव

(Finance Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2023

S.R.O. 82.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Private Secretary) Recruitment Rules, 2013 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Private Secretary in the Defence Accounts Department namely: -

1. Short title and commencement: - (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Private Secretary) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level of pay: -

The number of the said posts, its classification and level in the pay matrix thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age limit, qualification etc.: -

The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column 5 to 12 of the said Schedule.

4. Disqualifications: - No person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax:** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving:** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, Ex-serviceman and any other special categories of persons in accordance with orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of Post | Number of Posts | Classification | Level in Pay Matrix | Whether Selection post or Non-Selection post | Age limit for direct recruits |
|-------------------|---|---|--|--|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Private Secretary | 80(2023)* *Subject to variation dependent on work load | General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial | Level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) | Selection | Not Applicable |

| Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees. | Period of probation if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grade from which promotion/deputation absorption to be made |
|--|--|----------------------------|--|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | By promotion failing which by deputation. | <p>Promotion: Stenographer Grade-I in the pay level-06 with five years regular service in the grade; and having successfully completed two weeks training in relation to the duties of higher post imparted at various Regional Training Centers functioning under the department.</p> <p>Deputation: Officers holding the post of Stenographer under the Central Government: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-6 (Rs. 35,400 - 1,12,400) or equivalent in the parent cadre or department. Standard</p> <p>Note1 :Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service</p> <p>Note2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note3: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.</p> |
|--|--|--|--|--|

| If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment |
|--|--|
| 12 | 13 |
| <p>Departmental Promotion Committee consisting of :</p> <p>(1) Principal Controller of Defence Accounts or Controller of Defence Accounts or Additional Controller of Defence Accounts or Joint Controller of Defence Accounts - Chairman ;</p> <p>(2) Deputy Controller of Defence Accounts - Member;</p> <p>(3) Assistant Controller of Defence Accounts - Member.</p> | <p>Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.</p> |

[F. No. 9(1)/DAD/C/2023]

VEDVEER ARYA, Addl. Financial Adviser and Jt. Secy.

